Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

Recommendation of the State Government:-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता कार्यपालन
	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता कार्यपालन
(Adverse comments made by any	अभियंता(सिविल),छ.ग.विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या,
officer or authority in Part-B or	रायगढ़ को रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल
Part-C or Part -D above should be	अंतर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के.
specifically commented upon)	व्ही विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने हेतु 1.80 हे.
	राजस्व वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980
	के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा
	स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date: 5 -12-2016

Place:

Raipur

Name

Secretary,

Designation -

C.G. Govt.,

Forest Department